कार्यालय, महिला एवं बाल विकास
सखी वन स्टॉप सेंटर, जिला–महासमुंद (छ.ग.)

प.क्र./679/मबावि./स्थापना शाखा/2025–26 महासमुंद, दिनांक 14/10/2025

// विज्ञापन//

सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाता के भर्ती हेतु विज्ञापन

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/10478/मबावि/मसमि/सखी–4/2024–25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के द्वारा नवीन वित्तीय मापदंड एवं मानव संसाधन के प्रावधानों के अनुसार किये जाने हेतु प्रदत्त स्वीकृति के परिपालन में जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर कार्यालय के दैनिक कार्यो का संचालन एवं सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए सेवा प्रदाता पद की नियुक्ति किया जाना है, रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	मासिक सेवा शुल्क
1	केस वर्कर	01 (अनारक्षित)	18420.00

उपरोक्तानुसार रिक्त सेवा प्रदाता के पद पर भर्ती हेतु केवल पात्र महिला आवेदकों के लिए दिनांक 29/10/25 को वॉक इन इंटरव्यू प्रातः 09 बजे से आयोजित है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट www.mahasamund.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल पद देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–महासमुंद (छ.ग.)

सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्य दायित्व

S.No.	Position	Number of Staff	Qualification	Roles & Responsibilities
1.	Case Worker	01	• Any women having a Bachelor in Law / Social Work / Sociology / Social science/ Psychology with at least 3 years" experience of working on women related relevant domains in a Government or Non-Government project/ programme. • She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utiliset for effective functioning of the centre.	• Case Worker will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • She will provide assistance and support to the Centre Administrator in facilitating services to women accessing OSC. • She will intervene in cases of VAW and will take them to their logical conclusion. • She will be responsible for other work as assigned by the Centre Administrator.

टीप :– शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जावेगा।

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तें:

01. उपरोक्त समस्त सेवा प्रदाता पद केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है।

02. उपरोक्त पद हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

03. आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है।

04. पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

05. चयनित अभ्यर्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा कर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।

06. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पश्चात पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण–पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

07. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों/प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः ....

08. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
09. चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महासमुन्द के मध्य नियुक्त अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने तथा विभाग की आवश्यकता व्यवहार के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर अनुबंध बढ़ायी जा सकेगी।
10. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
11. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति जीवित हो वे अपात्र माने जायेंगे, तथा सेवा से तत्काल पृथक कर दिया जायेगा।
12. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
13. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण कराना अनिवार्यतः किया जावे।
14. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा।
15. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
16. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
18. वॉक इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा में भाग लेने वालें उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा
19. दावा आपत्ति के समय कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
20. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
21. किसी भी अभ्यर्थी को पूर्व में राज्य के किसी भी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था से कार्य/व्यवहार असंतोषप्रद पाये जाने के कारण यदि उन्हे सेवा से पृथक किया गया हो अथवा उनकी संविदा अवधि में वृद्धि नहीं की गयी हो तो ऐसे अभ्यर्थी को उपरोक्त पदों के लिए किये गये आवेदन को अपात्र किया जायेगा।

क्रमशः ....

22. उपरोक्त सेवा प्रदाता के पद पर अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाऐंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वॉक–इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जायेगी।
23. योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
24. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
25. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
26. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
27. सेवा प्रदाता पद के लिए वाक् इन इंटरव्यू तिथि 29/10/25 को प्रातः 09 बजे से आरंभ किया जायेगा। जिसकी अनुमानित कार्ययोजना निम्नानुसार रहेगी :–

क्रमांक	समय	अनुमानित कार्यो का विवरण
01.	प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे तक	आवेदन संकलन एवं पंजीयन तथा सूचीकरण
02.	दोपहर 12.00 बजे	प्रारंभिक दावा आपत्ति सूची प्रकाशन
03.	दोपहर 12.30 बजे से 01.30 बजे तक	दावा आपत्ति प्राप्त करना
04.	दोपहर 01.30 बजे से 02.00 बजे तक	दावा आपत्ति का निराकरण
05.	दोपहर 02.30 बजे	अंतिम पात्रता सूची का प्रकाशन
06.	दोपहर 03.00 बजे से 04.00 बजे तक	वरीयता में अधिकतम 10 प्रतिभागियों की कौशल/लिखित/मौखिक परीक्षा ली जायेगी।
07.	संध्या 04.00 बजे से 05.00 बजे तक	अंतिम चयन सूची जारी

उक्त कार्यक्रम में आकस्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है।

2. नियुक्ति प्रक्रियाः–

01. सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
02. सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

क्रमशः ....

03. समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी कर वॉक इन इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे:–

3.1 सेवा प्रदाता पद के वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.2 सेवा प्रदाता के पद पर न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.3 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.4 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

3.5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक–इन–इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.7 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 2 के उप कंडिका 3.4, 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के अनुपात में जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक–इन–इटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

3. नियुक्ति की अवधि:–

4.1 विज्ञापित पद पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

क्रमशः ....

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.4 चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–महासमुंद (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटों पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र मे होना चाहिए चस्पा करें।

प्रति,

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला– महासमुन्द (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :–..

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–..
(अंग्रेजी में) ....

3. पिता/पति का नाम :–..

4. स्थायी पता :–..
....

5. (पत्र व्यवहार का पता) :–..
....दूरभाष/मो.नं...

6. जन्मतिथि (अंको में) :–..
(शब्दो में) :–..

7. दिनांक 01/01/2025 को आयु :–..

8. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है :– ....
यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें :– ....

9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति..............................वर्ग..........................

10. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ? ....

11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्त्ता :– ....

12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :–..............................

13. शैक्षणिक योग्यताः–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्नकरें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता :–...

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–...

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची:–

1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकूसची
2. 12 वीं अंकसूची
3. स्नातक की अंकूसची
4. स्नातकोत्तर कीं अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
5. व्यवसायिक पाठ्यकय का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
7. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र
8. 01 लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा हुआ हो एवं 10 रू. का डॉक टिकट सहित।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण :–

1...2...3.......................................

4...5...6.......................................

7...8...9.......................................

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं नाम

//घोषणा पत्र//

मै एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :– ....

दिनांक :– ....